

# राष्ट्रीय लोक अदालत

13/8/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। पत्रावली का डायलोकन किया। उकरण में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा सूक्ष्म न्यायालय द्वारा तस्वीक किया जा चुका है। लिहजा माफिक राजीनामा दोषीलाएस की अपील स्वीकार की जाकर उकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति अनुसार विवादि भूमि को नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर तस्वीर से कप्त हो व इच्छित दफ्तर हो। डादेशिका की प्रमाणित प्रति पालेनार्थ दोषीलाएस न्यायालय को प्रेषित हो।

मनोज जीवनी

13/08/22

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
सं. 1 बाउमेर (राज.)

13/08/22  
सदस्य

लोक अदालत  
(उपखंड अधिकारी)  
बाउमेर

